(63)

न्यायालय श्री मान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

ममता केवट पत्नी श्री गोरे केवट, उम्र लगभग 40वर्ष, ~~R-1956~~ -
पेशा मजदूरी निवासी ग्राम सेमरिया/कोटरा मोहल्ला
तहसील सेमरिया जिला रीवा म.प्र. ------- आवेदिका/निगरानी

III/पुनरी0/रीवा/भू.रा./2017/1986

बनाम

1. मुन्ना केवट तनय श्यामलाल केवट,
निवासी ग्राम सेमरिया/कोटरा मोहल्ला तहसील सेमरिया
जिला रीवा म.प्र.
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत सेमरिया जिला
रीवा म.प्र. -------अनावेदकगण/गैरनि0

अधि0 श्री सतेन्द्र सिंह
परिहार द्वारा पेश।

ब्लाक आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश माननीय आयुक्त रीवा संभाग रीवा के निगरानी प्रकरण क्र0 05/निग0/2014-15 आदेश दि0 26.11.15 जिनके न्यायालय में माननीय अपर कलेक्टर जिला रीवा के निगरानी प्रकरण क्र0 50/बी/121/2013-14 पारित आदेश दिनांक 16.1.15 के विरूद्ध पेश की गई है क्योंकि माननीय अपर कलेक्टर रीवा म.प्र. ने अपने अपीलीय प्रकरण क्र0 50/बी-121/2013-14 आदेश दिनांक 16.1.15 को नगर पंचायत सेमरिया द्वारा पारित प्रस्ताव क्र0 1 दिनांक 31.8.2012 को आवेदिका के पक्ष मे 10 वर्षीय लीज/पट्टा को निरस्त कियागया है।

निगरानी अन्तर्गत धारा 33 म.प्र. नगर पालिकाअधि0 1961 एवं सहपठितधारा 151 सी.पी.सी.।

आवेदन पत्र वावत निगरानी प्रकरण को

2 पेजपर.

जो निगरानी प्र0 क्र0 898/11/2016
न्यायालय के आदेश दिनांक 24.5.17
को आवेदक की अनुपस्थिति मान कर अदम
पैरवी मे खारिज हुआ है, उक्त खारिजी
प्रकरण को पुन: पुर्नस्थापित किए जाने
हेतु अन्तर्गत धारा 35(3) भू.रा.सं.एवं
आदेश 9 नि0 9 जा0 दी0।

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न है :-

1- यह कि उपरोक्त उन्मान का निगरानी प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन था जिसकी पिछली पेशी न्यायालय मे दिनांक 21.3.17 सुनवाई हेतु नियत थी । चूंकि दिनांक 21.3.17 को आवेदक द्वारा निगरानी के साथ संलग्न दस्तावेज अनावेदक पक्ष को दिये गये थे, तथा प्रकरण में उक्त न्यायालय समय में कोई अगली तारीख उभय पक्षकारो को नही दी गई थी, बल्कि न्यायालय द्वारा मौखिक रूप से अवगत किया गया था कि जो भी पेशी नियत होगी वो संबंधित पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर लेंगे ।

2- यह कि दिनांक 21.3.17 के बाद [illegible] संबंधी रीडर द्वारा अगली पेशी दिनांक 24.5.17 मौखिक रूप से बताई गई थी इसी विश्वास पर आवेदक नियत पेशी दिनांक 24.5.17 को न्यायालय मे उपस्थित हुआ किन्तु दिनांक 24.5.17 को प्रकरण उपलब्ध नही कराया गया तत्पश्चात में प्रकरण की पेशी जानने के लिए संबंधी रीडर द्वारा पक्षकार को बुलाया गया । [illegible] खारिजी प्र0 दिनांक 24.5.17 को आवेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदक को न्यायालय मे बैठा दिया गया था तथा कहा गया कि जैसे ही पुकार होगी वैसे ही आवेदक अधिवक्ता को सूचित कर न्यायालय मे बुला लेगा। शाम तक आवेदक न्यायालय मे बैठा रहा , किन्तु प्रकरण में कोई पुकार नही हुई, तब आवेदक मजबूरन अपने अधिवक्ता को सारी बाते बता कर अपने घर चला गया।

3 पेज पर...

आवेदक/निगरानी कर्ता

III/पुनर्वि/रीवा/भू-रा./2017/1936

18/7/17	आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। R-598-अ/16 में पारित आदेश दिनांक 24/5/17 को पुनः [illegible] पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार इसे आवेदन [illegible] किया जाता है।	